

विद्यालय हेतु चार पहिया वाहन  
पर लेने के लिए निविदा प्रपत्र



निविदा प्रपत्र मूल्य 200.00

### कार्यालय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, मळ्हार, जिला – बिलासपुर (छग)

क्र. /जनवि/बिलास/2021–22/

दिनांक –

सी.एस.-12 क्र .....  
.....

प्रति,

अमानत राशि 10000/-

विषय :— विद्यालय हेतु गाड़ी किराये से लिये जाने बाबत् निविदा प्रपत्र ।

इस विद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं कार्यालय उपयोग हेतु, मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जा रही है, जो दिनांक 26.10.2021 को 12.00 बजे तक विद्यालय में, स्वीकार्य की जायेगी तथा दिनांक 28.10.21 को सुबह 12.00 बजे विद्यालय क्रय समिति के तथा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष जनवि, मळ्हार में खोली जायेगी ।

#### **शर्तें निम्नानुसार हैं ।**

1. निविदा प्रपत्र के साथ, प्रतिभूति राशि रूपये दस हजार का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, मळ्हार, जिला-बिलासपुर (छग) के नाम देय होगा, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो निविदा स्वीकृत होने पर विद्यालय के खातें में जमा रहेगा, जिसका किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, तथा शर्तों के अनुपालन में कोताही बरतने पर राजसात के योग्य रहेगा ।
2. केवल वे वाहन धारक जिनके पास बोलेरो, स्कार्पियो गाड़ी हो, सभी गाडियों में ए.सी. होनी चाहिए तथा उक्त वाहन जनवरी, 2019 तथा बाद की गाड़ी होनी चाहिए । उक्त चार पहिया वाहन के संपूर्ण वाछनीय दस्तावेज परिपूर्ण हो साथ ही टेक्सी परमिट होनी चाहिए तथा वाहन की हालत अच्छी हो, निविदा डाल सकेंगे ।
3. निविदा प्रपत्र के साथ, वाहन से संबंधित समस्त वाछनीय प्रपत्रों की छायाप्रतियों, सक्षम अधिकारी के द्वारा अभिप्रामाणित कराके, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. वाहन का जीवंत बीमा होना अनिवार्य है, इसके प्रपत्रों की छायाप्रतियां निविदा के साथ आवश्यक रूप से लगावें । आयकर अधिनियम के तहत निम्नानुसार स्ट्रोत पर कर की कटौती की जावेगी ।

क्रमश— 2.....

5. निविदा प्रभावशील होने के उपरांत वाहन का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य तथा वाहन चालक का वेतन भत्ता, वाहन मालिक को देना होगा, केवल ईधन एवं प्रतिमाह की स्वीकृत दर का भुगतान विद्यालय द्वारा किया जायेगा ।
6. स्वीकृत दर की अदायगी विद्यालय में वाहन लगने की तिथि से प्रभावी होगी ।
7. विद्यालय में वाहन जिस दिनांक से लगेगा, वाहन चालक एवं वाहन विद्यालय में ही स्थाई रूप से रहा करेगा, तथा वाहन की सुरक्षा की जवाबदारी, वाहन चालक की होगी ।
8. वाहन चालक की जीवंत लायसेंस आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां विद्यालय में जमा करनी होगी तथा वालन चालक सभ्य, मिलनसार, मृदुभाषी एवं ईमानदार हो, और किसी भी हालात में नशा करने वाला न हो, इसका विशेष ध्यान वाहन मालिक रखेंगे ।
9. वाहन की निविदा दिनांक 29.10.2021 से 30.04.2022 तक प्रभावी रहेगी ( ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन अवकाश को छोड़कर ( माह मई 2022 एवं जून 2022 दो माह जरूरत पड़ने पर मंगाया जायेगा )
10. प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मल्हार, जिला-बिलासपुर (छग) के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह जब भी चाहे, बगैर किसी पूर्व सूचना के निविदा निरस्त कर सकेगा ।
11. किसी दुर्घटना, प्राकृतिक विडम्बना होने पर वाहन के क्षतिग्रस्त होने की दशा में, वाहन मालिक जवाबदेह रहेगा, न कि विद्यालय प्रशासन ।
12. निविदा खुलने की तिथि में, क्रय समिति के अवलोकन हेतु वाहन विद्यालय में लाना अनिवार्य होगा ।
13. गाड़ी से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी ।

संलग्न— उपरोक्तानुसार 1 निविदा प्रपत्र

प्रा चार्य  
जनवि,मल्हार,बिलासपुर(छग)

..3..

कार्यालय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, मल्हार, जिला – बिलासपुर (छग)

चार पहिया वाहन ए.सी. गाड़ी (संविदा आधार) का तुलानात्मक विवरण—सत्र—2021–22

क्र.	गाड़ी का नाम	मॉडल नं. एवं मेक	दर (प्रतिमाह में)
1	बोलेरो		
2.	स्कार्पियो		

वाहन मालिक के हस्ताक्षर .....  
 वाहन मालिक के नाम .....  
 पूरा स्थाई पता .....  
 .....  
 .....  
 वाहन का नाम .....  
 क्रमांक .....  
 दिनांक ..... स्थान .....  
 मोबाइल नं. ....  
 व्हाट्सअप नं. ....  
 ईमेल :....

क्रमशः ...4....

..4..

## शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी .....  
..... तहसील ..... जिला ..... उम्र ..... वर्ष पूर्ण होषोहवास  
के साथ, शपथ करता हूं कि मेरा चार पहिया वाहन ..... है, जिसको किराये पर जवाहर नवोदय  
विद्यालय, मल्हार, जिला – बिलासपुर (छग) को देने हेतु मेरी, निविदा दर रूपये ..... प्रतिमाह  
की दर से स्वीकृत हुई है।

इसके लिए शपथ पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र की सभी शर्तें जो निविदा हेतु निर्धारित की गई है (क्र. 01 से 13 तक ) मुझे सहर्ष स्वीकार है, मैं सभी शर्तों का विधिवत पालन करूँगा। इनके अनुपालन में, लापरवाही या कोताही बरतने पर प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, मल्हार, जिला-बिलासपुर मेरी निविदा निरस्त करते हुए मेरे द्वारा जमा राशि 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) की अमानत राशि को जप्त या राजसात करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

मैं यह शपथ करता हूं कि निविदा प्रभावी रहने के दौरान मैं अपने वाहन को, बीच में अपने उपयोग के लिए कभी नहीं मागूँगा ।

मैं यह शपथ प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, मल्हार, जिला-बिलासपुर (छग) के पक्ष में पूर्ण होषोहवास के साथ बिना किसी प्रकार की नशा किये एवं बगैर किसी के दबाव में आए जो सनद रहे वक्त पर काम आये ।

शपथ कर्ता के हस्ताक्षर  
पूरा नाम .....

गवाह :— नाम तथा पता सहित

हस्ताक्षर

1. ....  
.....  
  
2. ....  
.....

दिनांक :— .....